S.T. N0. 81/2022 State of C.G. Vs. Aalok Vaishnav & 01 others

Witness No. .. **03** ...for.... **अभियोजन साक्षी** ..Deposition taken the... **07.02.2023** ....day of... **मंगलवार** .. Witness's apparent age. **44 वर्ष**

States on offirmation. **शपथ पूर्वक कथन** my name is .. **प्रशांत सिंह**

W/son of .. **श्री मनहरण राठौर** occupation .. **व्यवसाय**

address. **बुधवारी खपरा भट्टा वार्ड क. 21 कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)**

समय -1.55 बजे से ।

01- न्यायालय उपस्थित आरोपी जो आज पीला शर्ट पहना खलेश्वर पात्रे की ओर इशारा करके ने साक्षी ने उसे चेहरे से पहचानना बताया तथा न्यायालय उपस्थित अन्य आरोपी आलोक वैष्णव को नहीं पहचानना बताया ।

02- दिनांक 04-8-2022 की बात है । मेरे सामने मानिकपुर चौकी में पुलिस ने हाजिर अदालत दोनों आरोपीगण का बयान लिये थे । हाजिर अदालत आलोक वैष्णव के द्वारा उनके द्वारा दिये गये बयान में मैं हरिश परसाई के कार्यालय से एसी चोरी कर अपने घर रखना बताया था तथा चोरी करके प्रिंटर ले जाते समय तोड़ देना बताये थे, टूल्लू पंप भी चोरी करना बताया था । आरोपी खलेश्वर पात्रे ने भी मेरे सामने मानिकपुर चौकी के पुलिस को बताया था कि वह आलोक वैष्णव के साथ था चोरी करके प्रिंटर ले जाते समय प्रिंटर को तोड़ देना इस आरोपी ने बताया था तथा हेक्सा ब्लेड को अपने पास घर में रखना बताया था । **आलोक का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी० 6 है जिसके** अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । **खलेश्वर पात्रे का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी० 7 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।**

टीप - चायकाल का समय होने से साक्षी का प्रतिपरीक्षण चायकाल तक स्थगित किया गया ।

समय -2.00 बजे तक ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–कोरबा (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही/–
(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–कोरबा (छ0ग0)

समय 3.50 बजे से ।

टीप- चायकाल पश्चात् अभियोजन सा०क्र० 3 प्रशांत सिंह उपस्थित । उक्त साक्षी को पुनः शपथ दिलायी जाकर साक्षी का शेष परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

03- अभियुक्त आलोक के बताये अनुसार उसके घर काशी नगर कोरबा जाने पर अभियुक्त अपने घर से लाकर पेश करने एसी एलजी कंपनी का मेरे सामने **जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 8** तैयार किया गया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । अभियुक्त खलेश्वर पात्रे के बताये अनुसार उसके घर खपराभट्टा बुधवारी कोरबा जाने पर अभियुक्त अपने घर से लाकर पेश करने हेक्सा ब्लेड जो दो टुकड़े में था, को मेरे सामने **जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 9** तैयार किया गया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

04- अभियुक्त आलोक के बताये अनुसार ढेंगुनाला आईटीआई चौक से बालको जाने वाले मार्ग में स्थित, गये थे, अभियुक्त आलोक ने जिन समान को ढेंगुनाला में फेंकना बताया था, वे समान तलाश करने पर ढेंगुनाला में नहीं मिले । इस संबंध में **तलाशी पंचनामा प्र०पी० 10** तैयार किया गया । जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

05- पुलिस वाले मेरा बयान लिये थे, मैंने उक्त बातें बतायी थी ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री गणेश कुलदीप अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

06- मैं अधिवक्ता हूँ, परंतु वर्तमान में वकालत नहीं कर रहा हूँ । प्रार्थी हरिश परसाई से मेरा परिवारिक एवं राजनैतिक संबंध है ।

07- मुझे इस प्रकरण में गवाह बनने के लिए कोई नोटिस पुलिस ने नहीं दिया था । मैं हरिश परसाई के फोन कॉल आने पर उसके बुलाने पर थाना गया था । मैं थाना करीबन

5-6 बार गया हूॅ । यह कहना गलत है कि हरिश के फोन करने पर 5-6 बार थाने गया था । स्वतः कहा कि पुलिस वाले 4 बार फोन कर बुलाये थे और हरिश दो बार फोन कर थाने बुलाये थे ।

08- पुलिस वाले मुझे 3,4,5 अगस्त 2022 को एवं दो दिन बाद मुझे पुलिस चौकी बुलवाया था । यह सही है कि मैं पुलिस वाले के कहने पर हस्ताक्षर किया है । स्वतः कहा कि मेरे सामने कार्यवाही हुई, इसलिए हस्ताक्षर किया हूॅ । चोरी गये समानों की जानकारी मुझे हरिश परसाई ने दी थी ।

09- यह सही है कि हरिश ने जिन समानों की चोरी होना बताया है, उसी को मैं पुलिस बयान में बताया हूॅ । मैंने जप्ती एवं मेमोरेण्डम कथन के दस्तावेजों में दिनांक 4 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किया था । मैंने जप्ती कार्यवाही में अभियुक्तगण के घर में हस्ताक्षर किया था और मेमोरेण्डम कथन में हस्ताक्षर चौकी मानिकपुर में किया था । यह सही है कि न्यायालय में गवाही देने के लिए आने के पूर्व मैं न्यायालय परिसर में उपस्थित हरिश परसाई से मिला हूॅ । यह कहना गलत है कि मेरा हरिश परसाई से अच्छा संबंध होने के कारण मैं उसके बताये अनुसार बयान दे रहा हूॅ ।

10- मेमोरेण्डम कथन के समय अभियुक्तगण पुलिस अभिरक्षा में थे । मैं पुलिस लॉकअप के पास नहीं था । मैं चौकी मानिकपुर में पुलिस केबिन में बैठा था । उस समय मैं और पुलिस वाले बैठे थे । अभियुक्तगण वहॉ पर दोनों खड़े थे । यह सही है कि इसके अलावा वहॉ पर और कोई नहीं था ।

11- यह सही है कि मेरा निवास स्थान खपराभट्टा कोरबा है । मेरे निवास स्थान का खसरा नंबर है, शासन के पट्टे की भूमि पर बना है । यह कहना गलत है कि मैं बेजा कब्जा किया हूॅ । यह सही है कि अभियुक्त खलेश्वर पात्रे का भी मेरे घर के पास मकान है । यह कहना सही है कि खलेश्वर पात्रे के परिवार वालों से अच्छा संबंध है । यह सही है कि उसके जमानत के लिए अधिवक्ता गणेश कुलदीप को फोन किया था ।

12- मैं दिनांक 04-08-2022 को लगभग 4-5 घण्टे थाने में था । मैं 10 बजे से थाना पहुॅचा था वापस आते मुझे 5-6 बज गये थे । पुलिस के जिन दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया हूॅ उन दस्तावेजों को पुलिस वाले लिख लिये उसके बाद मैं हस्ताक्षर किया हूॅ ।

13- काशीनगर और खपराभट्टा से समान की जप्ती हुई थी । यह सही है कि दोनों अलग-अलग मोहल्ला है परंतु दोनों आपस में लगा हुआ है । काशीनगर में की गयी जव्ती कार्यवाही का निश्चित समय आज याद नहीॅ है, खपराभट्टा में की गयी कार्यवाही का निश्चित समय याद नहीं है ।

14- मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी आलोक वैष्णव मैकेनिक है, जो फ्रीज , कूलर सुधारता है । मुझे जानकारी नहीं है कि आलोक वैष्णव के घर में मैकेनिक का समान रहता है । स्वतः कहा कि मैं उसके घर कभी नहीं गया ।

15- यह सही है कि आवश्यकतानुसार लोग अपने घर में टांगी, हैक्सा ब्लेड, आदि रखते हैं । खलेश्वर पात्रे पढ़ा लिखा है । मेमोरेण्डम कथन में पुलिस वाले पहले आरोपीगण का हस्ताक्षर लिये फिर मेरा हस्ताक्षर लिये थे । यह कहना गलत है कि खलेश्वर पात्रे पढ़ा लिखा नहीं है । आज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि पुलिस कार्यवाही के दस्तावेज में खलेश्वर पात्रे ने अपना अंगूठा लगाया था या हस्ताक्षर किया था ।

16- यह कहना गलत है कि खलेश्वर पात्रे ने मैं जिन दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया हूॅ उसमें खलेश्वर पात्रे ने कोई हस्ताक्षर नहीं किया है । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे सामने कोई मेमोरेण्डम एवं तलाशी पंचनामा एवं जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई है । मुझे नहीं मालूम कि हरिश परसाई के सभी बिजली का काम आलोक वैष्णव करता था । यह कहना गलत है कि हरिश परसाईं ने झूठा रिपोर्ट किया है और मेरे साथ मेरे राजनैतिक प्रभाव के साथ मिलकर झूठा फंसाया है ।

17- मेरे सामने जप्त किया गया प्रिंटर किस कंपनी का था, आज मुझे याद नहीं है । स्वतः कहा कि टूटा-फूटा था और कंपनी का नाम दिखायी नहीं दे रहा था । यह कहना गलत है कि सारे समान मेरे सामने जप्त हुए है, उनके कंपनी का नाम दिखायी नहीं दे रहा था । एक जप्तशुदा समान एलजी कंपनी का था ।

18- यह कहना गलत है कि मैं आरोपीगण को फंसाने के लिए आज न्यायालय में झूठा गवाही दे रहा हूॅ । मैं अपने वाहन से पुलिस के पीछे-पीछे गया था । यह कहना गलत है कि मैं न्यायालय में झूठा बोल रहा हूॅ ।

समय :– 4.35 बजे तक।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने सही होना स्वीकार किया।

सही/–
(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–कोरबा (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही/–
(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–कोरबा (छ0ग0)